राजस्थान सरकार
सहकारिता विभाग

कमांक :— पैक्स/पैक्सली/2010/16 जयपुर, दिनांक:— 3 मई,2010

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना
समस्त राजस्थान

विषय :— सहकारी संस्थाओं के मिनी बैंकों एवं जी.एस.एस के माध्यम से महानरेगा श्रमिकों के भुगतान हेतु एडवान्स राशि का हस्तान्तरण बाबत।

सन्दर्भ :— ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का पत्र क्रमांक एफ. 4(28)आरडी/नरेगा/2009—10 दिनांक 7.7.09 व 15.4.2010

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है परन्तु उसकी एवज में उन्हें किसी प्रकार की प्रशासनिक राशि नहीं मिलने की वजह से कई जिलों में पेक्स मैनेजरों के द्वारा हड़ताल व कामरोको अभियान चलाया जा रहा है।

इस सन्दर्भ में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के पत्र दिनांक 15.4.2010 के माध्यम से आपको निर्देशित किया गया है कि जिला सहकारी बैंकों में उनके खातों के अनुसार आनुपातिक रुप से एक माह की एडवान्स राशि हमेशा केन्द्रीय सहकारी बैंक के स्तर पर उपलब्ध करवाई जायेगी। इस राशि को पैक्स वाईज उनके आनुपातिक खातों के अनुसार जितनी राशि आवश्यक है उतनी राशि के पैक्सवाईज फिक्स डिपोजिट करवा दी जावे तथा उसकी ब्याज राशि पैक्स को स्थानान्तरित की जावे जिससे पैक्स की स्टेशनरी व प्रशासनिक आदि का जो खर्चा होता है उसको उस राशि से वहन किया जा सके।

यह भी देखने में आया है कि कुछ केन्द्रीय सहकारी बैंकों को पूर्व में भी एडवान्स राशि उपलब्ध करवाई जाती रही है परन्तु केन्द्रीय सहकारी बैंकों ने उक्त राशि की फिक्स डिपोजिट करके या उनके ब्याज पर विनियोजित करके लाभ अर्जन किया है परन्तु अनुपातिक रुप से पैक्स या मिनि बैंकों को वो राशि स्थानान्तरित नहीं की गई, अतः जिन बैंकों में इस प्रकार की राशि पूर्व में जमा राशि से ब्याज के रुप में राशि का अर्जन किया गया है उसे भी आपके जिलों से सम्बन्धित पैक्सों को आनुपातिक रुप से खातों के अनुसार हस्तान्तरण की जावे जिससे उन्हें पूर्व के घाटे की पूर्ति की जा सके।

इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के पत्र दिनांक 7.7.2009 में भी इस बात को अनुपातिक जमा राशि जमा करवाने के साथ साथ यह भी निर्देशित किया गया था कि सहकारी संस्थाओं में खाता खोलने वाले व्यक्ति को सहकारी संस्था का सदस्य होना आवश्यक है और सदस्यता शुल्क के रुप में खातेदार को 110/–रुपये का अंशदान 5 किश्तों में जमा करवाना होगा, अतः जिन मिनी बैंकों/ग्राम सेवा सहकारी समितियों में अभी तक सदस्य नहीं बनाये गये हैं उन्हें सदस्य बनाया जावे।

राज्य सरकार ने लगभग 550करोड रुपये की अनुदान सहायता राशि भी केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से जिला कलेक्टरों को उपलब्ध करवाई है उस राशि का किसानों को भुगतान हेतु जिले की ग्राम सेवा सहकारी समिति एवं मिनी बैंकों में जीरो बैलेन्स पर खाते खोले गये हैं अतः उक्त राशि के विनियोजन से ही जो ब्याज राशि बैंकों को प्राप्त हुई है उसको भी खातों के अनुपात में ग्राम सेवा सहकारी समिति/मिनि बैंक/ब्रान्चों को हस्तान्तरित किया जावें क्योंकि वास्तविक खाते तो इन्हीं संस्थाओं में खोले गये हैं।

उक्त आदेशों की सख्ती से पालना की जावे तथा जिन जिलों में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सदस्यों द्वारा हडताल या सरकारी कार्य में बाधा लाई जा रही है उन्हें समझाईश की जावे कि अब उन्हें इस राशि से प्रशासनिक खर्चो के अनुरुप राशि उपलब्ध हो जायेगी। इसके बावजूद भी यदि किसी जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकगण हडताल आदि करते हैं उनको ड्यूटी से अनुपस्थित माना जाकर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

आदेशों की सख्ती से पालना की जावे।

(आर.के. मीणा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख शासन सचिव,ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
2. पंजीयक,सहकारी समितियां,राजस्थान,जयपुर
3. समस्त संयुक्त रजिस्ट्रार,सहकारी विभाग।
4. समस्त प्रबन्धक संचालक,केन्द्रीय सहकारी बैंकों को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित जिलों के जिला कलेक्टरों से उक्त दोनों राशियों का हस्तान्तरण करावें, यदि कोई समस्या हो तो मुझे अवगत करावें।
5. समस्त उपरजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार

प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
अनुभाग–3

क्रमांक एफ 4(28)आरडी/नरेगा/2009–10 जयपुर दिनांक 15.04.2010

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
समस्त राजस्थान।

विषय: सहकारी संस्थाओं के मिनी बैंकों के माध्यम से नरेगा श्रमिकों के भुगतान हेतु राशि हस्तान्तरण बाबत।
संदर्भ: इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 07.07.2009

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान सहकारी संस्थाओं के माध्यम से भी किया जा रहा है। राज्य सरकार के संदर्भित आदेश के द्वारा सहकारी बैंकों के माध्यम से किये जा रहे भुगतान का आंकलन कर आनुपातिक राशि जिले की केन्द्रीय सहकारी बैंक में हस्तान्तरित करने के निर्देश दिये गये थें।

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि कुछ जिलों द्वारा इसकी पालना कर अग्रिम के रूप में मासिक राशि जारी नहीं की जा रही है। इस सम्बन्ध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किये जाने वाले एक माह के भुगतान हेतु वांछित राशि अग्रिम के रूप में सम्बन्धित जिले की केन्द्रीय सहकारी बैंक में नियमित रूप से हस्तान्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

भवदीय,
(सी.एस.राजन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–
1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग।
2 समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, राजस्थान।
3 रक्षित पत्रावली।

मुख्य लेखाधिकारी, ईजीएस

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)

क्रमांक-एफ-4(28)आरडी/नरेगा /हस्ति/09ना० जयपुर, दिनांक : 7 JUL 2009

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त(राजस्थान)।

विषय :- सहकारी संस्थाओं के मिनी बैंकों के माध्यम से भुगतान करने बाबत।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान सहकारी संस्थाओं के मिनी बैंकों के माध्यम से किया जा रहा है। आप जिले में मिनी बैंकों के माध्यम से किये जा रहे भुगतान का आंकलन कर, आनुपातिक राशि जिले में स्थापित केन्द्रीय सहकारी बैंक में हस्तान्तरित कराने की व्यवस्था करें, ताकि मांग के अनुसार संबंधित मिनी बैंकों को उनके द्वारा समय समय पर राशि का हस्तान्तरण किया जा सके।

इसी प्रकार सहकारी संस्थाओं में खाते खोलने वाले व्यक्ति का सहकारी संस्था का सदस्य होना भी एक शर्त है। सदस्यता शुल्क के रूप में खातेदार को रूपये 110.00 का अंशदान जमा कराना होता है। राज्य स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि उक्त अंशदान नरेगा श्रमिक खातेदारों पांच किश्तों में भी जमा करवाया जा सकता है। आप यह प्रयास करें कि मिनी बैंकों में खोले गये खातों से जुड़े श्रमिकों को संबंधित सहकारी संस्था की सदस्यता ग्रहण करने हेतु प्रेरित करें एवं उन्हें सदस्य बनवायें, जो सहकारी अभियान को सार्थक करने में भी सहयोगी बनें।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

(जी.एस.संधु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, जयपुर।
2. पंजीयक, सहकारिता विभाग, जयपुर।
3. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान, जयपुर ।
4. रक्षित पत्रावली।

परि. निदे. एवं उप सचिव (ग्रारो)